न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– श्री शंकरलाल सालवी ,आर.ए.एस.

———

करण संख्या 96/2019 वाद निर्णय दिनांक 21.10.2019

अनवान

जमनादेवी पत्नी मनोहरलाल जाट-वयस्क निवासी लोठियाना-तहसील भदेसर जिला चित्तौगढ

.....वादीया

।। बनाम ।।

1. उम्मेदसिहं पिता नंदसिहं राजपूत वयस्क निवासी नरधारी तहसील भदेसर
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ़

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,,188 रा0 का0 अधि0 1955

उपस्थित– श्री प्रवीण मोहम्मद रईस वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,,188 की धारा के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया –

1. यह कि ग्राम नरधारी पटवार हल्का वागुण्ड तहसील भदेसर की खाता संख्या 04 में अंकित आराजी नम्बर 152, 154, किता–2 कुल रकबा 1.10 हैक्टैयर कृषि भूमि में से वादिया ने तत्कालीन खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 उम्मेदसिहं के 1/4 हक हिस्सा यानि कि 0.28 हैक्टैयर कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.0502017 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तभी से वादिया अपनी उक्त खरीदशुदा आराजीयात पर बहैसियत मालिक काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है ।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ

Scanned by CamScanner

2. यह कि वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 से जो आराजीयात खरीद कर कब्जा प्राप्त किया लेकिन उक्त आराजीयात का इंतकाल वादीया के किनाम पर दर्ज नही होने से प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादिया को विक्रय की गुई आराजीयात जो संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी जिसका न्यायालय द्वारा बंटवाडा कर दिये जाने से प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर आराजी नम्बर 152 मीन रकबा 0.07 हैक्टैयर एवं आराजी नम्बर 154/1 रकबा 0.24 हैक्टैयर दर्ज की गई जिसमें से वादिया अपनी खरीद शुदा आराजी नम्बर 152 में से 0.07 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 154/1 में 0.21 हैक्टयर भूमि को वादिया की खातेदारी की घोंषित की जाकर वादिया को उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावे ।

3. यह कि वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 से आराजी नम्बर 152 मीन रकबा 0.07 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 154/1 रकबा 0.24 हैक्टेयर दर्ज की गई जिसमें से वादीया अपनी खरीद खुदा आराजीयात आ0न0 152 में से 0.07 हैक्टेयर एवं आ0न0 154/1 में 0.21 हैक्टैयर भूमि खरीद की लेकिन राजस्व रेकार्ड में आज भी प्रतिवादी संख्या 01 का नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 के विवादित आराजीयात सेटलमेन्ट से पूर्व वादीगण के खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी और वादीगण आज भी आराजीयात पर काबिज होकर काश्त कर रहें है लेकिन भू प्रबन्ध अधिकारीयों की लापरवाही से उक्त खातेदारी आराजीयात को राजकीय भूमि दर्ज कर दी है इसलिए उक्त आराजीयात को पुनः वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराने हेतु वाद पत्र पेश है ।

4. यह कि बिनाय मुखास्मत वाद कारण दिनांक 20.06.2019 को प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा मौके पर आकर लडाई झगडा करने तथा अनाधिकृत रूप से वादिया के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त से दखल करने का असफल प्रयास करने से पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है । जिससे वाद पत्र वादीया अन्दर मियाद पेश किया है जो स्वीकार फरमाया जावे ।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री शम्भूलाल सुथार द्वारा वकालत नामा के साथ इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया । प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं ने उपस्थित होकर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करना जाहिर किया ।

प्रकरण में चूकिं इकबालिया जवाबदावा पेश हुआ है इसलिए वाद बिन्दु कायम नहीं किये गये ।

वाद के समर्थन [illegible] की ओर से मौजा नरधारी की नकल नामान्तरण संख्या 54 दिनांक 5.12.20[illegible] जमाबन्दी खाता संख्या 23 संवत् 2073—2076 प्रदर्श—2 प्रस्तुत की गई जिससे [illegible] द्वारा कय की गई वाद वर्णित आराजीयात का वादिया के पक्ष में अमल हुआ । किन्तु आराजीयात के सहखातेदार पक्षकारान् के मध्य विभाजन का वाद निर्णीत होने से वादीया द्वारा कय की गई भूमि जिसका राजस्व रेकार्ड में अमल था का विभाजन डिकी आदेश से विलोपन होकर पुनः प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज हो जाने से राजस्व रेकार्ड की वर्तमान् स्थिति [illegible] हो चुकी है तथा वादिया का काल्पनिक रूप से खातेदारी में नाम विलोपन हो चुका है । प्रतिवादी संख्या 01 ने इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीया द्वारा कय की गई भूमि पुनः उनकी खातेदारी में दर्ज किए जाने हेतु अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । जिससे वाद के [illegible] प्रमाणित होने से वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीया डिकी किया जाता है कि वादिया के पूर्व खातेदारी में दर्ज मौजा नरधारी की आराजीयात जो विभाजन से पुनः प्रतिवादी संख्या 01 के खातेदारी में दर्ज हो चुकी है अस्तु आराजी नम्बर 154/2 रकबा 0.24 हैक्टेयर में से 0.21 हैक्टैयर एवं आराजी नम्बर 152 की रकबा 0.07 हैक्टेयर सम्पूर्ण कुल रकबा 0.28 हैक्टैयर भूमि वादीया के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी हक से पुनः राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । धारा 188 की दाद साबित नहीं होने से खारीज की जाती है । इसी आशय का पर्चा डिकी अलग से मुर्तिब किया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(शंकरलाल सालवी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ

मूल वाद में डिक्री

(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)

न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)

बईजलास– श्री शंकरलाल सालवी, आर0ए0एस0,

उनवान

जमनादेवी पत्नी मनोहरलाल जाट वयस्क निवासी लोठियाना तहसील भदेसर जिला चित्तौगढ

.....वादीया

।। बनाम ।।

1. उम्मेदसिहं पिता नंदसिहं राजपूत वयस्क निवासी नरधारी तहसील भदेसर
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ़

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,,188 रा0 का0 अधि0 1955

प्रकरण संख्या 96/2019

वादीगण की और से वकील श्री मोहम्मद रईस एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से शम्भूलाल सुथार की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 18–10–2019 को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादीया डिक्री किया जाता है कि वादिया के पूर्व खातेदारी में दर्ज मौजा नरधारी की आराजीयात जो विभाजन से पुनः प्रतिवादी संख्या 01 के खातेदारी में दर्ज हो चुकी है अस्तु आराजी नम्बर 154/2 रकबा 0.24 हैक्टैयर में से 0.21 हैक्टैयर एवं आराजी नम्बर 152 मी रकबा 0.07 हैक्टैयर सम्पूर्ण कुल रकबा 0.28 हैक्टैयर भूमि वादीया के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी हक से पुनः राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । धारा 188 की दाद साबित नहीं होने से खारीज की जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

यह आज दिनांक 18.10.2019 को डिग्री पर्चा मुर्तिब किया गया ।

(शंकरलाल सालवी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौडगढ

Scanned by CamScanner